विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/15

श्री शिवओम अग्रवाल, — आवेदक
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल,
निवासी – 67, भारत टाकीज रोड,
शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर 474001(म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (उपमहाप्रबंधक), — अनावेदक
शहर संभाग (केन्द्रीय),
म0प्र0 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रोशनी घर रोड, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.) – 474009

आदेश
(दिनांक 29.04.2015 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के शिकायत प्रकरण क्रमांक GT-031 शिवओम अग्रवाल विरूद्ध उप महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 28.10.2014 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

02. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन क्रमांक 0136562000 था । उसके पिता जगदीश प्रसाद अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 12.08.2013 को हो गई थी, जिसकी सूचना उसने अनावेदक को दी थी, परन्तु 8 माह तक टैरिफ मिनिमम के हिसाब से उसे बिल दिया गया । मार्च 2014 एवं अप्रैल, 2014 के देयक में आंकलित खपत 35 एवं 50 यूनिट लगाई गई जो आवेदक द्वारा अदा करने के बाद भी अगस्त 2013 के बिलों में मीटर रीडिंग की अतिरिक्त रीडिंग अंकित कर बिल दिया गया, अतः उसे पिता के समय किए गए अनुबंध की प्रति दिलाई जाए ।

03. अनावेदक ने इस आशय का जबाव प्रस्तुत किया कि आवेदक के पिता की मृत्यु की सूचना के उपरान्त स्वामित्व और उपयोगिता साबित करने हेतु आवेदक को नोटिस दिया गया था, परन्तु उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए । आवेदक के नाम दूसरा घरेलू विद्युत कनेक्शन क्रियाशील है ।

आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद तथा विद्युत कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित किए जाने के बाद उसके द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की गई है, उसका कोई औचित्य नहीं है ।

04. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि मार्च 2014 एवं अप्रैल 2014 के बिल समाप्त कर रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता को बिल दिया जाए । शिकायत का निराकरण होने के कारण फोरम द्वारा प्रकरण निरस्त किया जाता है ।

05. उपभोक्ता की ओर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने पर लिखित जवाब जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है तथा कार्यपालन यंत्री का पत्र दिनांक 28.02.2015 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह लेख है कि आवेदक के पिता के नाम पर जमा सुरक्षा निधि की राशि हेतु यदि वह परिवार के सदस्यों की सहमति अविलंब प्रस्तुत करें तो उसके प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है ।

06. फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत, उसका जवाब, फोरम का आदेश इन सभी का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि वस्तुतः कोई शिकायत ही नहीं है । मूल शिकायत को समझें बिना पूरी कार्यवाही की जा रही है । आवेदक के पिता की मृत्यु हो चुकी है । मृत्यु के बाद यदि उक्त विद्युत कनेक्शन से संबंधित सुरक्षा निधि आवेदक प्राप्त करना चाहता है तो आवश्यक दस्तावेज अनावेदक के चाहे अनुसार प्रस्तुत करें और यदि ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो उसमें नियमानुसार कार्यवाही अनावेदक की ओर से की जाए । तद्नुसार उपभोक्ता का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

07. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल